प्रेस नोट दिनांक 31.05.2026

प्रेस नोट दिनांक : 31.05.2026
थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 09 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुंडा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाघराय पुलिस द्वारा विभिन्न विवादों में तनावपूर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निवारक कार्यवाही की गई।

दिनांक 31.05.2026 को उ0नि0 जयसुशील मिश्रा मय हमराह का0 शीशपाल सिंह, रि0आ0 अनिल गोंड, रि0आ0 अभिषेक कुमार एवं म0रि0आ0 ब्यूटी कुमारी द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के दृष्टिगत कुल 09 व्यक्तियों को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। ग्राम दुर्ग सराय भाव में जमीनी विवाद एवं निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के मध्य तनाव एवं कसीदगी की स्थिति उत्पन्न होने पर 04 व्यक्तियों तथा ग्राम बारौ पटवारा में खड़ंजे की ओर दरवाजा खोलने के विवाद को लेकर 02 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम बारौ नगरन का पुरवा में पारिवारिक विवाद के दृष्टिगत 01 व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में थाना बाघराय पुलिस द्वारा ग्राम मण्डल भासो में आवादी भूमि को लेकर उत्पन्न विवाद एवं संभावित शांति भंग की स्थिति के दृष्टिगत 1- राजेन्द्र गौतम पुत्र जमुना प्रसाद गौतम एवं 2-अजय कुमार मौर्या पुत्र सोहनलाल उर्फ मन्नू मौर्या निवासीगण मण्डल भासो थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत हिरासत में लेकर निवारक कार्यवाही की गई।

सभी व्यक्तियों को नियमानुसार हिरासत में लेकर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

निवारक कार्यवाही के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण-
शुभम मिश्रा पुत्र त्रिभुवन कान्त मिश्रा निवासी दुर्ग सराय भाव, थाना बाघराय।
विद्याकान्त मिश्रा पुत्र स्व० राम मनोहर मिश्रा निवासी दुर्ग सराय भाव, थाना बाघराय।
सचिन पटेल पुत्र सुरेश पटेल निवासी दुर्ग सराय भाव, थाना बाघराय।
सौरभ पटेल पुत्र राममूरत पटेल निवासी दुर्ग सराय भाव, थाना बाघराय।

दिलीप कुमार पटेल पुत्र रामसमुझ पटेल निवासी बारौ पटवारा, थाना बाघराय।
धर्मेन्द्र कुमार पटेल पुत्र रामसजीवन पटेल निवासी barौ पटवारा, थाना बाघराय।
शिव दयाल सरोज पुत्र रामआसरे निवासी बारौ नगरन का पुरवा, थाना बाघराय।
राजेन्द्र गौतम पुत्र जमुना प्रसाद गौतम निवासी मण्डल भासो थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़
अजय कुमार मौर्या पुत्र सोहनलाल उर्फ मन्नू मौर्या निवासी मण्डल भासो थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
1-उ0नि0 जयसुशील मिश्रा मय हमराह का0 शीशपाल सिंह, रि0आ0 अनिल गोंड, रि0आ0 अभिषेक कुमार एवं म0रि0आ0 ब्यूटी कुमारी थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

2-उ0नि0 रमेश सिंह यादव मय हमराह का0 सौरभ शर्मा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 31.05.2026
थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.05.2026 को थाना बाघराय के उ0नि0 अवधेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अतुल त्रिपाठी एवं रि0आ0 यादवेन्द्र यादव द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र मु0नं0 2012/2015 धारा 364/302/342/323/504/120बी भादवि के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त पप्पू नगरहा उर्फ देवी प्रसाद मिश्र पुत्र बिन्देश्वर प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम नगरहन का पुरवा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-पप्पू नगरहा उर्फ देवी प्रसाद मिश्र पुत्र बिन्देश्वर प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम नगरहन का पुरवा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अवधेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अतुल त्रिपाठी व रि०आ० यादवेन्द्र यादव थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 31.05.2026
थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचना के अभियोग से संबंधित वांछित 01अभियुक्त रामगोपाल यादव को किया गया गिरफ्तार-

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 176/2025 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त को गैर जमानती वारंट (NBW) के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुंडा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियोग उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 30.05.2026 को निरीक्षक अयोध्या कुमार, उ0नि0 विवेक पाण्डेय, का0 विपिन सारस्वत एवं रि0म0का0 प्रिया मौर्या द्वारा थाना हथिगवां के मु0अ0सं0 176/2025 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि में वांछित अभियुक्त रामगोपाल यादव पुत्र कांती श्याम यादव निवासी ग्राम मत्तू का पुरवा, मजरा रैयापुर, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ (हाल पता वृंदावन आवास विकास योजना, तेलीबाग, थाना पीजीआई, लखनऊ) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी न्यायालय से निर्गत गैर जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ के माध्यम से की गई। थाना पीजीआई से अभियुक्त को विधिक अभिरक्षा में प्राप्त कर थाना हथिगवां लाया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रामगोपाल यादव पुत्र कांती श्याम यादव निवासी ग्राम मत्तू का पुरवा, मजरा रैयापुर, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़।
हाल पता – वृंदावन आवास विकास योजना, तेलीबाग, थाना पीजीआई, लखनऊ।

पुलिस टीम-
निरीक्षक अयोध्या कुमार मय हमराह उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, का0 विपिन सारस्वत व रि0म0का0 प्रिया मौर्या थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

दिनांक 31.05.2026
थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा जमीनी विवाद, मारपीट एवं मकान क्षतिग्रस्त करने के प्रकरण में 03 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार - घटना में प्रयुक्त जेसीबी को भी सीज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस द्वारा जमीनी विवाद से संबंधित अभियोग में त्वरित कार्रवाई करते हुए 03 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त जेसीबी को भी बरामद किया गया है।

वादी अरविन्द कुमार मिश्रा निवासी ग्राम रमईपुर दिसनी, पृथ्वीगंज, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0-227/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 119(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30.05.2026 को विपक्षीगण सत्यम दुबे, शशिधर दुबे, मनीष मिश्रा सहित अन्य नामजद एवं 80-90 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादी की दुकान/मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देते हुए जेसीबी से मकान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रकरण के संबंध में थाना पट्टी पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार, उ0नि0 उमेन्द्र शुक्ला, उ0नि0 मिथिलेश कुमार राय मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-227/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 119(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित 03 नामजद अभियुक्तों को हरिपुर बरदैता भट्ठा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सत्यम दुबे पुत्र इंद्रधर दुबे निवासी ग्राम रमईपुर दिसनी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
2. शशिधर दुबे उर्फ भोला पुत्र स्व0 लीलाधर दुबे निवासी ग्राम रमईपुर दिसनी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
3. मनीष मिश्रा पुत्र स्व0 शत्रुघ्न प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम रमईपुर दिसनी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य नामजद एवं अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रदीप कुमार, उ0नि0 उमेन्द्र शुक्ला, उ0नि0 मिथिलेश कुमार राय, रि0का0 नवीन कुमार, रि0का0 अभिषेक यादव, रि0का0 अरुण कुमार, रि0का0 विनय कुमार सरोज, रि0का0 विशाल शुक्ला, रि0म0का0 सिम्पल पटेल एवं रि0म0का0 प्रियंका जायसवाल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी है।